# न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ

**पीठासीन अधिकारी : बीनू देवल आर.ए.एस**

**प्रकरण संख्या : 90 / 2022 (2022 / 157)**

**अनवान**

1. गेंद कंवर पुत्री शंकर सिंह राजपूत नि.दुवावा तह. बस्सी जिला चित्तौडगढ
2. गोवर्धन कंवर पत्नी भंवरसिंह राजपूत नि.दुवावा तह. बस्सी जिला चित्तौडगढ
3. नरेन्द्र सिंह पुत्र शंकर सिंह राजपूत नि.दुवावा तह. बस्सी जिला चित्तौडगढ
4. मेम कंवर पुत्री भंवर सिंह राजपूत नि.दुवावा तह. बस्सी जिला चित्तौडगढ
5. लाली कंवर पत्नी नारायण सिंह राजपूत नि.दुवावा तह. बस्सी जिला चित्तौडगढ
6. लाली कंवर पुत्री भंवर सिंह राजपूत नि.दुवावा तह. बस्सी जिला चित्तौडगढ
7. विष्णुकंवर पत्नी शंकरसिंह राजपूत नि.दुवावा तह. बस्सी जिला चित्तौडगढ
8. सूर्यभानसिंह पुत्र भंवर सिंह राजपूत नि.दुवावा तह. बस्सी जिला चित्तौडगढ
9. हेमकंवर पुत्री शंकर सिंह नि.दुवावा तह. बस्सी जिला चित्तौडगढ

—प्रार्थीगण

सहायक कलक्टर, चित्तौडगढ न्यायालय — सत्यमेव जयते — जिला चित्तौडगढ

बनाम

1. कैलाश पुत्र देवीलाल माली नि.दुवावा तह. बस्सी जिला चित्तौडगढ
2. गोपी पुत्र नंदा माली नि.दुवावा तह. बस्सी जिला चित्तौडगढ
3. हरी बाई पुत्री देवीलाल माली नि.दुवावा तह. बस्सी जिला चित्तौडगढ
4. हीरा पुत्र नंदा माली नि.दुवावा तह. बस्सी जिला चित्तौडगढ
5. जाना पुत्र मुलिया माली नि.दुवावा तह. बस्सी जिला चित्तौडगढ

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ (राज.)

6. देवा पुत्र मुलिया माली नि.दुवावा तह. बस्सी जिला चित्तौडगढ
7. नाना पुत्र मुलिया माली नि.दुवावा तह. बस्सी जिला चित्तौडगढ
8. प्रभू पुत्र मुलिया माली नि.दुवावा तह. बस्सी जिला चित्तौडगढ
9. फोकर उर्फ पोखर पुत्र मुलिया नि.दुवावा तह. बस्सी जिला चित्तौडगढ
10. राजस्थान राज्य सरकार जरिये प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार बस्सी जिला चित्तौडगढ

—विपक्षीगण

कार्यवाही : अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी.ए.

उपस्थिति : श्री बसन्तीलाल पोखरना अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री दिनेश शर्मा अधिवक्ता विपक्षी संख्या 5 से 9

**निर्णय** **दिनांक 27.11.2024**

प्रार्थना पत्र का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विरूद्ध विपक्षीगण प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी व आधिपत्य की कृषि भूमि आराजी नम्बर 546 रकबा 0.8700 है. भूमि ग्राम दुवावा तहसील बस्सी जिला चित्तौडगढ मे स्थित है। उक्त आराजीयात पर आने जाने के लिए वर्तमान में कोई रास्ता नहीं है और राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में भी कोई रास्ता अंकित नहीं है। प्रार्थीगण के लिए अपनी उक्त कृषि भूमि ग्राम दुवावा आराजी नम्बर 546 पर जाने के लिए एक मात्र रास्ता ग्राम दुवावा की आबादी का दर्ज रिकार्ड रास्ता आराजी नम्बर 520 बिलानाम सरकार रास्ते में से होकर बिलानाम सरकार कृषि भूमि ग्राम दुवावा की आराजी नम्बर 519 रकबा 0.19 है. जो राजस्व रिकार्ड में राज्य सरकार के नाम दर्ज है। जिसके प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार साहब बस्सी है जो विपक्षी संख्या 10 है उसमें से होकर ग्राम दुवावा की बाराजी नम्बर 518 रकबा 0.0300 है. बीड एंव ग्राम दुवावा की बाराजी नम्बर 515 रकबा 0.0600 है बीड जो कि विपक्षी 5, 6, 7, 8, 9 के खातेदारी की आराजीयात है मे से होकर ग्राम दुवावा की बाराजी नम्बर 514 रकबा 0.1400 है. जो कि विपक्षी संख्या 01 से 04 तक के खातेदारी की कृषि भूमि है , में से होकर प्रार्थीगण अपनी ग्राम दुवावा की आराजी नम्बर 546 रकबा 0.8700 है भूमि पर पहुंचते है। यही एक मात्र रास्ता

सहायक कलक्टर, चित्तौडगढ़ सत्यमेव जयते जिला चित्तौडगढ़

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ़ (राज.)

प्रार्थीगण के लिए है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता प्रार्थीगण की ग्राम दुवावा की आराजी नम्बर 546 रकबा 0.8700 है. पर पहुचने के लिए नही है। इस कारण प्रार्थीगण माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह अनुतोष चाहते है कि प्रार्थीगण को उनकी ग्राम दुवावा की कृषि भूमि आराजी नम्बर 546 पर पहंचने के लिएएक मात्र जो रास्ता है वो रास्ता उक्त विपक्षीगण खातेदारान की कृषि भूमि में से उक्त कायम कराया जाकर इसे रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अंकित कराया जाए और यह रास्ता गाडी गडार, ट्रेक्टर , मवेशी आदि के आने जाने के लिए 12 फीट चोडा रास्ता दिलाये जाने हेतु यह आवेदन पेश किया जा रहा है उक्त रास्ता कायम कराने हेतु प्रार्थीगण ने मौखिक दिनांक 15.02.2022 को कहा लेकिन वे इन्कार हो गये । यदि यह रास्ता कायम कराकर राजस्व रिकार्ड में अंकित कराया जाना नितांत आवश्यक है और यदि यह रास्ता कायम नहीं किया जाता है तो प्रार्थीगण का खेत बर्बाद हो जाएगें और प्रार्थीगण की ग्राम दुवावा की आराजी नम्बर 546 रकबा 0.8700 है पर पहंचना नितांत असंभव होगा अन्त मे प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित प्रार्थीगण की ग्राम द ुवावा की आराजी नम्बर 546 रकबा 0.8700 है. पर पहुंचने के लिए आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 10 की आराजी नम्बरा 519 बिलानाम सरकार एंव आराजी नम्बर 515 एंव 518 जो विपक्षी संख्या 5 से 9 तक की कृषि भूमि है, में से होकर एंव आराजी नम्बर 514 जो विपक्षी संख्या 01 से 04 तक की कृषि भूमि है , मे से 12 फीट चौडा रास्ता नितांत आवश्यक होने से दिलाये जाने एंव इसी रास्ते को राजस्व रिकार्ड में रास्ता अंकन कराये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जाने तथा उक्त भूमि की डीलएलसी दर से राशि जमा कराने का आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिए नोटिस तलब किये गये। विपक्षी संख्या 1 से 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। विपक्षी संख्या 5 से 9 की ओर से अधिवक्ता दिनेश शर्मा ने उपस्थित दर्ज करवाई तथा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया । पैराकार सरकार उपस्थित । तहसील बस्सी से मौका रिपोर्ट तलब की गई उक्त मौका रिपोर्ट की पालना मे तहसील

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

बस्सी से पत्रांक/रीडर/848 दिनांक 12.12.2022 से मौका रिपोर्ट प्राप्त । प्राप्त मौका रिपोर्ट के सलंग्न नक्शा जिसमे प्रस्तावित रास्ता दर्शाया गया है के अवलोकन से प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण की आराजी 546 पर जाने हेतु निकट और अन्य रास्ता भी स्थित है । अतः तहसीलदार बस्सी से पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गई । पुनः मौका रिपोर्ट की पालना मे तहसील बस्सी से पत्रांक / न्याय/2024/349 दिनांक 10.06.2024 से मौका रिपोर्ट प्राप्त । प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की ग्राम दुवावा स्थित आराजी संख्या 546 रकबा 0.8700 है. पर आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही होने से पुनः पुर्व मे प्रस्तावित रास्ता विपक्षीगण की आराजी नम्बर 514 , 518, 515 मे से रास्ता प्रस्तावित किया गया है। पूर्व मे बिलानाम आराजी नम्बार 519 मे से रास्ता प्रस्तावित नही किया गया था , अब उस मे से रास्ता हेतु प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार विपक्षीगण की ग्राम दुवावा की आराजी नम्बर 514 रकबा 0.14 है. मे से 0.0240 है. , आराजी नम्बर 515 रकबा 0.06 है. मे से 0.01 है. , आराजी नम्बर 518 रकबा 0.03 है. मे से 0.0050 है. विपक्षीगण की निजी खातेदारी मे से कुल 0.0390 है. जिसकी डीएलसी दर से दो गुणा राशि 65206 रूप्ये एंव बिलानाम आराजी नम्बर 519 रकबा 0.05 है. मे से 0.01 है. भूमि रास्त हेतु प्रस्तावित की गई है जिसकी डीएलसी दर से दो गुणा राशि 16720 अर्थात कुल प्रस्तावित भूमि 0.0490 है. के कुल रूप्ये 81926 बनते है। बहस प्रकरण अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई । अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए प्रकरण मे तहसील बस्सी से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार विपक्षीगण को प्रस्तावित रास्ते की कीमत का भुगतान किया जाकर प्रस्तावित रास्ता को राजस्व रेकार्ड मे अमलदरामद किए जाने का आदेश प्रदान कराने बाबत् निवेदन किया। इसके विपरित अधिवक्ता विपक्षी (5 से 9) ने जवाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित कथनो को दोहराते हुए निवेदन किया प्रार्थीगण आराजीयात 546 मे जाने के लिए आराजीयात नम्बर 505 का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। इस प्रकार प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता प्रार्थीगण के भाईयों की आराजीयात नम्बर 505 का करते चले आ रहे है इसलिए विपक्षीगण से उक्त रास्ता मांगना किसी भी प्रकार

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

से न्यायोचित नहीं है। अतः उक्त जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन कर अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर गहनता से मनन किया। तहसीलदार बस्सी से प्रस्तुत मौका रिपोर्ट उचित एंव स्पष्ट है। अतः हस्ब रिपोर्ट तहसीलदार बस्सी प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्र्तगत धारा 251 (क) आर.टी.ए. स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की ग्राम दुवावा तहसील बस्सी की आराजी नम्बर 546 रकबा 0.8700 है. भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता कायम करने बाबत् ग्राम दुवावा मे विपक्षी संख्या 1 से 4 की आराजी नम्बर 514 रकबा 0.14 है. मे से 0.0240 है. , विपक्षी संख्या 5 से 9 की आराजी नम्बर 515 रकबा 0.06 है. मे से 0.01 है. आराजी नम्बर 518 रकबा 0.03 है. मे से 0.0050 है. अर्थात विपक्षीगणं (1 से 9) की निजी खातेदारी मे से कुल 0.0390 हे. भूमि कीमत 65206 रूप्ये एंव बिलानाम आराजी 519 रकबा 0.05 हे. मे से 0.01 हे. भूमि कीमत 16720 रूप्ये का भुगतान सम्बन्धित खातेदार को किए जाने पर आराजी संख्या 514, 515, 518 मे से 0.0390 हे. एंव आराजी संख्या 519 मे से 0.01 हे. भूमि को बिलानाम रास्ता दर्ज किए जाने की स्वीकृति दी जाती है एंव उक्त भूमि को किस्म रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। प्रार्थीगण को आदेश दिए जाते है कि विपक्षी संख्या 1 से 9 को 65206 रूप्ये के भुगतान हेतु उनके हिस्से अनुसार राशि के एंव सरकारी भूमि की कीमत 16720 रूप्ये के भुगतान हेतु तहसीदार बस्सी के नाम के अलग–अलग ड्राफट बनाकर तहसीलदार बस्सी के मार्फत भुगतान किए जाने हेतु प्रस्तुत करे। उक्तानुसार ड्राफट प्रस्तुत होने पर सम्बन्धित को भुगतान हेतु एंव सरकारी भूमि की कीमत राजकोष मे जमा कराने हेतु तहसीलदार बस्सी को प्रेषित कर राजस्व अभिलेख मे अमल हेतु मौका रिपोर्ट के साथ प्राप्त नक्शा जिसमे प्रस्तावित रास्ता दर्शाया गया है, कि प्रति निर्णय की प्रति के साथ सलंग्न प्रेषित कर लिखा जावे कि सम्बन्धित को भुगतान करने के पश्चात राजस्व रेकार्ड मे प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम रास्ता दर्ज कर मौका रिपोर्ट के साथ प्राप्त नक्शे अनुसार रेकार्ड मे तरमीम किया जावे।

निर्णय टंकित कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)